

### भाग—३

( संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है, )  
प्रोजेक्ट संख्या—FP/UP/ OTHERS /47337/2020

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या — नहीं।  
इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है,  
( हां या नहीं ), यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और  
किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न  
करें।
15. क्या संबन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी — हाँ।  
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत  
है।
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित — प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल  
वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष  
सिफारिशें।

तिथि : १९.०१.२०२२

स्थान : मैदान

नाम व पदनाम

सरकारी मोहर

( विजय रिहं )

वन संरक्षक एवं कौमीज़ सिवैसम्म  
वृक्षादाद एवं वन विभाग

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक २३।४ 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, १९/०१/२०२२

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :-

जनपद सम्मल की तहसील-सम्मल, के ग्राम पवांसा की खसरा/गाटा संख्या-325 पर सम्मल-बहजोई मार्ग (एस०एच०-५१) के किमी० ७९ की बाँयी पटरी पर मै० भारत पेट्रोलियम कार्प० लि०, बरेली द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित ०.१७७७ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं ०२ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रोजेक्ट संख्या-FP/UP/ OTHERS /47337/2020

सन्दर्भ :-  
महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल की पत्र संख्या-1340/14-1, दिनांक 11.01.2022

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल ने जनपद सम्मल की तहसील-सम्मल, के ग्राम पवांसा की खसरा/गाटा संख्या-325 पर सम्मल-बहजोई मार्ग (एस०एच०-५१) के किमी० ७९ की बाँयी पटरी पर मै० भारत पेट्रोलियम कार्प० लि०, बरेली द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित ०.१७७७ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं ०२ वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है। प्रभाग स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव संस्तुति सहित ०३ मूल प्रतियों में आपको इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयक प्रस्ताव पर अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- प्रस्ताव ०३ मूल प्रतियों में।

भवदीय,

*(विजय सिंह)*

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- २३।४ / 14-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र/तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

*(विजय सिंह)*

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

*✓*